



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-18082026-275548
CG-BR-E-18082026-275548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4379]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 4379]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेल)

अधिसूचना

पटना, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4559(अ).—रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को दानापुर मंडल के अन्तर्गत “दानापुर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय (198.05 कि०मी०) के बीच तीसरी और चौथी लाईन” के विशेष रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण (CALA) हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित/अधिकृत करती है।

क्र. सं०	जिला	भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित अधिकारी (CALA)
1	पटना	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना
2	भोजपुर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर
3	बक्सर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर
4	गजीपुर	मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर
5	चन्दौली	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) चन्दौली

उपरोक्त सक्षम भू-अर्जन प्राधिकारी (CALA) को उक्त अधिनियम के तहत दानापुर मंडल के अन्तर्गत “दानापुर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बीच तीसरी और चौथी लाईन (198.05 कि०मी०)” के क्षेत्र में जो विशेष रेलवे परियोजना का हिस्सा है जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत है, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

[फा. सं. ईसीआर/सीएओ/कॉन/एस/चौथी व तीसरी लाइन/7ए]
राजीव गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि०/ दक्षिण

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Central Railway)

NOTIFICATION

Patna, the 4th August, 2026

S.O. 4559(E).— In Exercise of Power conferred under clause 7A of Section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, the following officials are nominated as competent authority for Land acquisition (CALA) for “3rd & 4th line between Danapur to Pandit Deen Dayal Upadhyay (198.05 Km)” under Danapur Division.

S.N	District	Officials nominated as competent authority land acquisition (CALA)
1.	Patna	District Land Acquisition officer, Patna
2.	Bhojpur	District Land Acquisition officer, Bhojpur
3.	Buxar	District Land Acquisition officer, Buxar
4.	Ghazipur	Chief Revenue officer, Ghazipur
5.	Chandauli	Additional District Magistrate (F/R), Chandauli

The above CALA is authorized to perform the function of such authority under the said act in the area of “3rd & 4th line between Danapur to Pandit Deen Dayal Upadhyay (198.05 Km)” under Danapur Division which is part of Special Railway Project, in the state of Bihar and Uttar Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

[F. No. ECR/CAO/C/S/DNR-DDU/Third-Fourth line /7A]

RAJIV GUPTA, CAO/Con/South